

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शंकरलाल पिता नारु जी गाडरी निवासी कानपुरा, तहसील राशमी
बनाम

सुरेश पिता माधू मु. दयाराम जटिया निवासी कानपुरा, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 60/2014 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार प्रकरण में दिनांक 19.05.2022, 27.05.2022 तथा 30.09.2022 को भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं तथा पुनः आज भी उभय पक्ष अनुपस्थित है अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय आदेश की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	